न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 226/14

1. चौथमल आयु 36 वर्ष आत्मज श्री पोखर जाति गुर्जर निवासी बीरज तहसील के0 पाटन जिला बून्दी हला निवासी लंकागेट बून्दी ।
2. ममता पुत्री पोखर पत्नी श्री अनिल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी हिण्डोली तहीसल हिण्डो जिला बून्दी ।
3. कस्तूरी बाई बेवा पोखर जाति गुर्जर निवासी बीरज तहसील के0 पाटन जिला बून्दी हला निवासी लंकागेट, बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम सारसला जरिये तहसीलदार, के0पाटन जिला बून्दी

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री विनय कुमार सक्सेना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 23.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2000 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलान्ट के पति/पिता पोखर आत्मज बद्री गुर्जर को राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन तथा विक्रय सम्बन्धी) नियम, 1957 के अधीन ग्राम बीरज तहसील के0 पाटन जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 126 की 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 129 रकबा 02

बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 146 रकबा 15 बिस्वा कुल 03 किता की रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा भूमि दिनांक 15.12.1976 को कीमतन आवंटन किया गया ।

3. आवंटी द्वारा आवंटन की बकाया राशि जमा नहीं करवाने तथा आवंटित भूमि पर आंवटी का कब्जा काश्त नहीं होने तथा आवंटी उक्त भूमि को नहीं लेना चाहते हैं के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2000 के द्वारा उक्त आवंटन निरस्त कर दिया गया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2000 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि अपीलान्ट के पति/पिता को नियमानुसार आवंटित की गई थी । आवंटन के बाद आवंटी उक्त भूमि पर काबिज काश्त करते रहे और उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट चौथमल उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पिता को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आवंटन खारिज कर दिया । अपीलान्ट से आवंटन की समस्त बकाया राशि जमा करवायी हुई है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गई है । आवंटन के 03 वर्ष पश्चात् स्वतः ही आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2000 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कोई सूचना नहीं दी । इसलिए उन्हें उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं हुई । अपीलान्ट दिनांक 22.06.2014 को पटवारी हल्का से मिला तो उन्होंने उक्त अपीलाधीन आदेश के बार में बताया जिस पर उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 126 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 129 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 146 रकबा 15 बिस्वा कुल 03 किता रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा ग्राम बीरज तहसील के0 पाटन जिला बून्दी अपीलान्ट के पिता स्व0 पोखर आत्मज बद्री को आवंटित की गई थी । उक्त भूमि के नवीन खरा नम्बर 157, 170, 557, 471, 635, 636 कायम किये गये हैं । पुरान खसरा नम्बर 146 रकबा 15 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 471 रकबा 0.08 हैक्टर के बाबत् अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये तथा खसरा नम्बर 126 रकबा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 129 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 157 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 170 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.34 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 559 रकबा 0.12 हैक्टर कायम किये गये हैं । उक्त भूमि अपीलान्ट की गैर खातेदारी में चल रही है । खातेदारी प्राप्त करने के लिए अपीलान्ट ने

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये परनतु यह ज्ञात हुआ कि खसरा नम्बर 126 और खसरा नम्बर 129 का आवंटन दिनांक 14.06.2000 को उप जिला कलक्टर के द्वारा निरस्त किया गया है उसके खिलाफ यह अपील पेश की जा रही है । आराजी अपीलान्ट के पिता एवं पति को आवंटित हुई थी । पोखर की मृत्यु सन् 1995 में हुई थी उसके पश्चात् से अपीलान्ट चौथमल उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । आवंटन निरस्त करने से पूर्व अपीलान्ट एवं उनके पिता/पति श्री पोखर को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है । आवंटन की समस्त राशि जमा करवायी गई है, कोई विवाद नहीं है । आदेश में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 126 व 129 की भूमि को नहीं लेना चाहते हैं यह तथ्य बिना किसी आधार के अंकित कर दिया गया है । आवंटी पोखर जी द्वारा एवं अपीलान्ट द्वारा कभी भी ऐसी इच्छा प्रकट नहीं की गई है कि इस भूमि को नहीं लेना चाहते हैं न ही कोई इस तरह का आवेदन किसी अधिकारी के समक्ष पेश किया गया है । अपीलान्ट को दिनांक 14.06.2000 के आदेश की कोई जानकारी नहीं थी उनको कोई सूचना भी नहीं दी गई थी । इस कारण अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2000 को निरस्त फरमाया जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2019 पेज 64, आरआरडी 2017 पेज 649, आरआरडी 2019 पेज 294 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । अपीलान्ट ने दिनांक 13.07.1999 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश किया है जिसमें यह अंकित किया है कि खसरा नम्बर 157, 177, 557 औरर 559 कुल 04 किता की 0.89 हैक्टर आराजी के आवंटन को निरस्त कराना चाहते हैं । इस आराजी का उनके द्वारा पैसा भी जमा नहीं करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन विधि सम्मत रूप से खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2000 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न आवंटन आदेश के अनुसार आवंटी पोखर को साबिक खसरा नम्बर 126 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 129 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 146 रकबा 15 बिस्वा कुल 03 किता रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा ग्राम बीरज तहसील के0 पाटन जिला बून्दी कीमतन आवंटित की गई थी । आराजी पर उनको दखल भी दिनांक 15.12.1976 को दिया गया था । पत्रावली पर संलग्न मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 126, 129 और 146 के हाल खसरा नम्बर 157, 170, 471 और 557 कायम किये गये हैं । इसके अलावा आवंटी को खसरा नम्बर 21, 22 और 39 कुल 03 किता की भूमि भी आवंटित हुई है जिस पर दखल दिनांक 14.07.1976 को दिया गया था ।

10. पत्रावली पर चौथमल अपीलान्ट का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.1999 संलग्न है जिसमें यह अंकित किया गया है कि पोखर वल्द बद्री के नाम साबिक खसरा नम्बर 126 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 129 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 146 रकबा 15 बिस्वा कुल 03 किता रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा आराजी आवंटित की गई है जिसके हाल खसरा नम्बर 157, 170, 471 एवं 557 कायम किये हैं । पुराने खसरा नम्बर 21 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 39

रकबा 16 बिस्वा भी आवंटित हुआ था । खसरा नम्बर 157, 177, 557 ओर 559 कुल 04 किता की 0.89 हैक्टर आवंटन के आवंटन को निरस्त कराना चाहते हैं, शेष भूमि की राशि जमा कराने का आदेश दिया जावे एवं खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

11. अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.06.2000 के अनुसार कब्जा नहीं होने, राशि जमा नहीं होने और प्रार्थी द्वारा इस आराजी को नहीं लेना चाहने के आधार पर आवंटन निरस्त किया है। अपीलान्ट के द्वारा अपील साबिक खसरा नम्बर 126 और 129 के बाबत् पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.1999 के अनुसार उनके द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर हाल खसरा नम्बर 157, 177, 557 और 559 का आवंटन निरस्त करवाने की प्रार्थना की है और शेष भूमि की राशि जमा करवाये जाने की प्रार्थना की । साबिक खसरा नम्बर 126 व 129 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 157, 170 बने हैं । हाल खसरा नम्बर 557 का साबिक खसरा नम्बर मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 22 व हाल खसरा नम्बर 559 का साबिक खसरा नम्बर 21 है । अपीलान्ट ने गलत रूप से हाल खसरा नम्बर 557 व 559 के साबिक खसरा नम्बर 126 व 127 बताये हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दिनाक 14.06.2000 को आवंटन खारिज किया है ।

12. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित है । सन् 2000 में आवंटन खारिज किया गया है जिसके अपील सं‍न् 2014 में पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है, विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । आवंटी के द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र देकर इस आराजियात के आवंटन को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है । ऐसी स्थिति में अपील में उनका यह कथन कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2000 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा